RN : 111/2001-02 DACSSS BIHAR
Dr. Ambedkar Chintan Samjajik Sodh Sansthan
Admin Office :- Nandan-Kanan, Ward No-23, Eidgah Mohlla
P.O.+P.S- Dehri- On- Sone, Distt- Rohtas (Bihar)- 821307
E-mail :- aibetindia@gmail.com aibetboard@gmail.com
Contact No: -
9576740702
8521772770
ESTD -AIBET 2008
Origin of All India for Education & Training : Globally Recognized Professional Institution
Regd. Under S.R.Act 21,1860 by the Department of Registration Government of Bihar, Patna

Ref No :-.....

Date:-.....

Dr. Ambedkar Chintan Samajik Sodh Sansthan (DACSSS) **is** a Non-profit/Non-Governmental supported primarily by tuition, revenue, gifts, grants, donation, and by member on financial resources and are not funded by the state or central government. Either by the state or central government. Autonomous Education Board **All India Board for Educational Training (AIBET)** is a Board for Education & Training (Secondary and Post Secondary) and rely on its active members, interested group and Community donations and endowments.

However, the Board maintains good standing for **Public Accountability** with its Private Financial resources.

RN : 111/2001-02 DACSSS BIHAR
Dr. Ambedkar Chintan Samjajik Sodh Sansthan
Admin Office :- Nandan-Kanan, Ward No-23, Eidgah Mohlla
P.O.+P.S- Dehri- On- Sone, Distt- Rohtas (Bihar)- 821307
E-mail :- aibetindia@gmail.com aibetboard@gmail.com
Contact No: -
9576740702
8521772770
ESTD -AIBET 2008
Origin of All India for Education & Training : Globally Recognized Professional Institution
Regd. Under S.R.Act 21,1860 by the Department of Registration Government of Bihar, Patna

Ref No :-..... Date:-.....

ALL INDIA BOARD FOR EDUCATION & TRAINING (AIBET)

Run by Dr. Ambedkar Chintan Samajik Sodh Sansthan (DACSSS)

Dr. Ambedkar Chintan Samajik Sodh Sansthan is an welfare society registered on 12th June, 2001 under societies registration act, central registration act of 21 May, 1860 by 21, 1860 by the Department of Excise, Prohibition and Registration Government of Bihar.

Contents of Letter

Copy of the said letter is attached here.

निबंधन विभाग द्वारा संस्था निबंधन अधिनियम 1860 की धारा–21 के तहत् संस्था द्वारा निबंधन किया जाता है । संस्था के निबंधित स्मृति पत्र एवं नियमावली के आलोक में तथा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था कार्य करने के लिए संस्था स्वतंत्र है ।

सरयुग प्रसाद प्रभाकर
उप निबंधन महा निरीक्षक
——सह——
लोक सूचना पदाधिकारी
निबंधन, उत्पादक एवं मद्य निषेध विभाग
निबंधन
बिहार, पटना ।

№ 990720

NOTARY
Birendra Pd. Singh
GOVT OF BIHAR

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 111.

वर्ष 2001-2002.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि डा० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख बारह मास ... दो हजार एक को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

निबन्धक, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

पत्रांक [illegible] 1911

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

प्रेषक, [illegible]
[illegible]
सह
[illegible]
[illegible]
[illegible]

सेवा में,
श्री [illegible] कुमार
अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय,
184 हकीकत नगर,
प्रथम तल किंग्सवे कैम्प
दिल्ली।

पटना, दिनांक– 29/6/2009

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में।

प्रसंग :– आपका आवेदन दिनांक–11.06.2009

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मांगी गई सूचना निम्नवत् है:–

आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना	दी गयी जानकारी
(i) Whether the contents of the registration certificate (Annexure-1) issued by this office is correct?	(i) संस्था के निबंधन का प्रमाण–पत्र की छाया प्रति एनेक्सर–1 के रूप में लगाया गया है, सही है।
(ii) If registered, this Dr. Ambedkar chintan samajik shodh sansthhan is registered for any particular period or for ever?	(ii) किसी निर्धारित अवधि के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए निबंधित है।
(iii) a. For what objects or works it had been given registration.	(iii) a. विभागीय अभिलेख के आधार पर इस संस्था के उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित हैं – (1) समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सभी तरह की उपेक्षित व्यक्तियों के समुचित विकास के द्वारा कर कला के विकास की व्यवस्था करना। (2) वर्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन एवं ग्रामीण कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं प्रशिक्षण देना। (3) पुरूषों एवं महिलाओं का सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण दिलवाकर तथा विभिन्न उद्योग धंधा को स्थापित कर सुनियोजित करवाना। (4) महिलाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण दिलवाकर स्वावलम्बित करना जैसे सिलाई, कटाई, बुनाई, हस्तकला, कशीदाकारी गुड़िया, खिलौना, पेंटिंग बनाना तथा फल संरक्षण आदि। (5) जन मानस की सद्प्रवृतियों को प्रोत्साहन देने वाली उल्लेखनीय निष्ठापूर्ण मानव हित संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाले पत्रिकाओं का प्रकाशन। (6) मानव हित हेतु सुरुचिपूर्ण साहित्यों का संग्रह तथा प्रकाशन [illegible] वितरण करना।

NOTARY
GOVT. OF BIHAR

[illegible]

(9) [illegible] के विकास के लिए [illegible] आहार [illegible] का प्रबन्ध करना।

(10) खादी ग्राम उद्योग का प्रशिक्षण दिलाना एवं उत्पादन करवाना।

(11) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं को निर्धारित दर पर वितरण का कार्यक्रम चलाना।

(12) महापुरुषों के जीवन एवं चरित्र का प्रचार प्रसार।

(13) उत्तम खाद तथा उन्नत बीज की उपलब्धि व किसानों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा [illegible] की स्थापना करना।

(14) पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षा रोपण अभियान को तेजी से लागू करना।

(15) ग्रामीण व्यक्तियों को श्रम अधिनियमों से परिचित कराना।

(16) पशु चिकित्सा सुधार हेतु शोध कार्यक्रम का बढ़ावा दिलाना।

(17) ग्रामिण सर्वांगिण विकास हेतु अन्य अति आवश्यक कार्य करवाना।

(18) स्वास्थ्य हेतु औषधालय एवं चिकित्सालय का प्रबन्ध करना एवं कुष्ट निवारण का प्रयास, एड्स से लोगों को बचाव के लिए प्रयास।

(19) अस्पृश्यता का उन्मुलन, दहेज प्रथा का उन्मुलन, जाति प्रथा का उन्मुलन का प्रयास करना।

(20) शिविर, सम्मेलन, प्रदर्शनी या सम्पर्क अभियान द्वारा जन जागरण का कार्य करना।

(21) एक आदर्श संस्थान की स्थापना जिसमें सांस्कृतिदर्शन तथा विश्व शांति संबंधी तथ्यों का समावेश।

(22) शोषित एवं वनवासियों कि सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए सक्रिय सहयोग करना एवं सरकार द्वारा निर्धारित भवन निर्माण कार्यक्रमों का बढ़ावा देना।

(23) ग्रामिणों के विकास (आर्थिक) हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बुनकर उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, हेन्डलुम, खादी ग्राम उद्योग उपलब्ध कराकर शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सरोजगार परियोजनाएँ अपनाने हेतु स्थापना करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(24) पंचायति राज व्यवस्था एवं नगर पालिका अधिनियम को लोकप्रिय प्रभावी एवं सफल बनाने हेतु कार्य करना।

(25) पूर्ण नशाबंदी अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखत मजदुर वर्ग एवं जन साधारण को इससे होनेवाली हानी से परिचित कराना तथा शराब की आदत को त्यागने हेतु साहित्य प्रकाशित करना एवं इससे बचने के लिए उपयों का प्रचार–प्रसार करना।

(26) समाज से पिछड़ी जातियों, दलितों, महिलाओं, अल्प संख्यकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कल्याणार्थ योजनायें चलाना।

(27) जनसंख्या में नियंत्रण एवं परिवार कल्याण हेतु परिवार कल्याणार्थ योजनाओं को प्रचार–प्रसार करना।

(28) गांव की हरियाली एवं पुरातत्व विशिष्टता का संरक्षण एवं समवर्द्धन।

(29) जल उद्योग एवं आन्तरिक संसाधन के समुचित उपयोग हेतु विभिन्न कार्यक्रम करना।

(30) जन कल्याण हेतु भारत सरकार, बिहार सरकार एवं अन्य देशी–विदेशी समाजिक संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उनके द्वारा चलाए जा रहे कल्याण कार्यो को स्थापना करना तथा सफल बनाना।

क्र. सं.	नाम	पद
1	श्री अरुण कुमार पिता–श्री रमेश चन्द्र	अध्यक्ष
2	श्री धर्मेन्द्र शर्मा पिता–श्री रामजी शर्मा	उपाध्यक्ष
3	डॉ. अश्विनी कुमार पिता- श्री बद्रीनाथ त्रिगुण	सचिव
4	श्री मनोज कुशवाहा, पिता–रामचन्द्र सिंह	उपसचिव
5	सुश्री श्यामा, पिता–श्री रामजी चौबे	कोषाध्यक्ष
6	डॉ. विभा पति–श्री अरुण कुमार	सदस्य
7	श्री आशिष कुमार, पिता–स्व. महेप पंडित	सदस्य
8.	मो. शहाबुद्दीन अंसारी, पिता–मो. रसूला अंसारी	सदस्य
9.	डॉ. अजित कुमार, पिता–श्री अर्जुन प्रसाद	सदस्य
10.	श्री शंभनाथ पासवान, पिता–श्री बद्री राम	सदस्य
11.	डॉ. प्रमोद, पिता–स्व. लालमोहन प्रसाद	सदस्य

c. Whether this Sansthhan by it's resolution (Annexure-2) could constitute an educational board to conduct 10^{th}, 12^{th} examination & other vocational courses, (if permission given by the Union HRD Ministry (Annexure-3)?	c. निबंधन विभाग द्वारा संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा–21 के तहत संस्था का निबंधन किया जाता है। संस्था के निर्धारित स्मृति–पत्र एवं नियमावली के आलोक में तथा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए संस्था स्वतंत्र है।

(सरयुग प्रसाद प्रभाकर)
उप निबंधन महानिरीक्षक,
–सह–
लोक सूचना पदाधिकारी,
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)
बिहार, पटना।